



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 4007

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 2399 National Sports Policy 2025

दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The ways in which grassroots sports infrastructure under National Sports Policy 2025 is being aligned with rural and urban youth engagement strategies;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The provisions made to ensure athlete welfare and sports science access for underprivileged talent;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The mechanisms proposed to enforce transparency in National Sports Federations, especially with respect to financial and selection processes; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The roadmap for attracting and hosting international sports events to boost employment and tourism?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 14/03/26

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू-3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 4008

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

**विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारकित प्रश्न क्रमांक 2400 Adaptive Sports
infrastructure दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।**

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Ministry has undertaken any nationwide assessment or mapping of accessibility of public sports infrastructure for persons with Disabilities and socio-economically marginalized youth;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the coverage, key findings and gaps identified and if not, the reasons therefor;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether there are plans to upgrade playgrounds, stadiums and training centers with universal design standards and adaptive equipment to enable inclusive participation; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The status of recruitment, training and deployment of specialized coaches for para-sports and adaptive physical activities at the district and block levels?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3018

दिनांक: 17/10/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न ताराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 6203 Sport boost: driving the future of sports and innovation दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The timeline for establishing AI-integrated sports training labs in schools and colleges across Himachal Pradesh to empower local youth:	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The manner in which Government leverages new mountain trails and adventure tourism initiatives to boost local employment through sport in Himachal's rural arcas;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps taken to integrate sports science and technology in existing training centers to prepare athletes for 2030 Commonwealth Games; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any policies are designed to make high-quality sporting equipment which is currently expensive or imported affordable and accessible to athletes at all levels?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेश्वर सिंह 140326

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3019

दिनांक: 17/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 6229 Sports Facilities and Youth Engagement in Patna दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether availability of sports infrastructure and training facilities in Patna is adequate to meet the needs of young athletes;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of facilities developed or upgraded under Khelo India and other central schemes in the district;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether organised talent identification and coaching programmes are being implemented; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The steps taken to encourage youth participation in sports and promote a culture of fitness and competitive sports in Bihar?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3020

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 5024 Grassroots talent development दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has examined the observations of the Parliamentary Committee in the Three Hundred and Sixty-Ninth Report (369th Report) regarding India's performance in major international sporting events, including the absence of a Gold Medal in the 2024 Olympics;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Steps taken to identify gaps or deficiencies at the policy level affecting India's Olympic performance;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Government has instituted a nationwide talent scouting mechanism covering rural and semi-urban areas, particularly at sub-junior and junior levels and the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Number of annual sporting events conducted at sub-junior, junior and senior levels across the country during the last five years. State-wise?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह 140326

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3021

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारकित प्रश्न डायरी क्रमांक 5000 Comprehensive Internship Policy to Strengthen the Sports Ecosystem दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key features of the Comprehensive Internship Policy launched to build the next generation of sports professionals, including its objectives, functional domains and duration of internships;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of internships proposed annually, the broad categories of host institutions and the stipend structure and budgetary provisions;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The proposed timeline and selection process for recruitment of interns, including the role of any centralised portal;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The monitoring and evaluation mechanisms envisaged for the programme; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The steps proposed to link internship experience with future employment opportunities in the sports sector?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 140326

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3022

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारकित प्रश्न डायरी क्रमांक 4788 Establishment of sports training centers in Goa दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has assessed the adequacy of existing sports infrastructure in Goa in view of the increasing number athletes and sports-enthusiasts requiring access to advanced-training facilities, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether any proposals or requests have been received from Government of Goa, State Sports Associations or other stakeholders for the establishment of National Centers of Excellence, Training Centers and/or Regional Centers in Goa, if so, the present status of such proposals; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Government proposes to establish such training-centres in Goa after conducting-feasibility or need-based assessments, if so, the timeline and details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3023

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारकित प्रश्न डायरी क्रमांक 4114 Schemes for development of sports दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has schemes for development of various sports;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so the details of the number of schemes implemented by Government in the country for the development of various sports: and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of the funds allocated under each scheme, Scheme- wise and State-wise?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3024

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारंकित प्रश्न डायरी क्रमांक 5090 Non-Expansion of Khelo India Centers in West Bengal दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether out of 23 districts in West Bengal, only 13 districts have been covered under the Khelo India Center scheme, leaving 10 districts uncovered;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether all existing Khelo India Centers in West Bengal are functioning within Jawahar Navodaya Vidyalayas and none has been established on land or district stadiums provided by the State Government;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Ministry has received adequate proposals, land offers or infrastructure support from Government of West Bengal for expansion of Khelo India Centres; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether lack of cooperation or non-provision of land by the State Government has affected district-wise rollout of the scheme in West Bengal?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3025

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

**विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारंकित प्रश्न डायरी क्रमांक 4842 2036 Olympics Bid
and Khelo India Expansion दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।**

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The current stage of the "Continuous Dialogue" with the International Olympic Committee (IOC) regarding India's bid to host the 2036 Olympic Games;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether Government has identified specific cities, such as Ahmedabad, as the primary hub for the Olympic infrastructure;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The total number of Khelo India Centers (KICs) operational across the country and their success rate in feeding athletes into national camps; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The fiscal provisions made in the Budget 2026-27 for the specialized training of athletes under the Target Olympic Podium Scheme (TOPS)?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3026

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न ताराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 7001 Bid for 2036 Olympic Games दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether it is a fact that within the Indian Olympic Association there are significant governance issues that are adversely affecting India's bid to host 2036 Olympic Games;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof and plans to resolve them;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Sports in India have been afflicted with anti-doping failures, if so, steps taken to strictly adhere to the international rules; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Details on the measures adopted by Government to significantly enhance India's performance in sports disciplines included in Olympic Games?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3027

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारंकित प्रश्न डायरी क्रमांक 4882 Khelo Bharat Niti and National Sports Policy, 2025 दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key objectives, priority areas and phased implementation timeline of the National Sports Policy, 2025 under the Khelo Bharat Niti;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The targets fixed for strengthening grassroots sports infrastructure, including the number of district-level sports centers in he developed, athletes to be identified and coaches to be trained over the next three years:	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The manner in which the policy envisages long-term athlete development and structured preparation for the 2036 Olympics Games, including identified priority disciplines and elite training coverage; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether performance benchmarks or a monitoring framework have been notified to assess outcomes under the policy and, if so, details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 5140320

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3028

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारंकित प्रश्न डायरी क्रमांक 6997 Development of Sports

University in India दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Details of list of sports universities in India proposed, sanctioned and currently functional across India, State-wise and in Andhra Pradesh;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Details of the total amount of funds sanctioned, disbursed and utilised for the sports universities in the last five years, year - wise and university wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Details of the list of courses provided in these universities;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Details of the total number of students graduated from these universities in the last five years, year-wise and coarse wise; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether Government plans to establish new sports universities in India, if so, details of the proposals received and the status of them?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेश्वर सिंह 9140328
(प्रो. यतेश्वर सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3029

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न ताराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 6525 Development of sports infrastructure and talent promotion दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The sports infrastructure and training facilities developed in Odisha, including Mayurbhanj district;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether such initiatives have supported identification and training of tribal youth; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps taken to strengthen grassroots sports development in aspirational districts?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3030

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न ताराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 5538 NSP दिनांक 12.03.2026

की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The ways in which grassroots sports infrastructure under NSP 2025 is being aligned with rural and urban youth engagement strategies;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The provisions made to ensure athlete welfare and sports science access for underprivileged talent;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The mechanisms proposed to enforce transparency in National Sports Federations, especially with respect to financial and selection processes; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The roadmap for attracting and hosting international sports events to boost employment and tourism?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 17/03/26

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3031

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 5018 Hosting International Sporting Events in India दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has taken note of the complaints of international players part of the India Open;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, steps Government is taking to ensure that any future sporting events abide by the international standards;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Steps being taken to ensure that athletes in India and visiting international players receive proper, healthy and safe conditions to participate in tournaments, if any; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Details of the steps taken to ensure regular cleaning, maintenance and repair of the five stadiums under SAI?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यत्नेन्द्र कुमार सिंह 140326

(प्रो. यत्नेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3032

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न तांराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 6348 To develop Delhi's Jawaharlal Nehru Stadium into India's First Modern Sports City दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the plan to develop Delhi's Jawaharlal Nehru Stadium into India's First Modern Sports City has begun to be implemented;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, by when would the project be complete and ready for use;and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	What is the cost that the State would entail to undertake this massive project?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3033

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 6597 दिनांक 12.03.2026
की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The progress made under the visionary initiatives of Government in upgrading and modernising sports infrastructure at National Centers of Excellence, Training Centers and Regional Centers of the Sports Authority of India, including enhanced access for talented athletes from the Marathwada region of Maharashtra;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of such centers operational nationwide, disciplines covered and sanctioned athlete strength;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The investments approved for advanced sports science facilities and plans to extend them to emerging regions like Marathwada; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The outcome-based framework adopted to strengthen India's international sporting performance?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्रसिंह 140326

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3034

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:-राज्य सभा प्रश्न अतारंकित प्रश्न डायरी क्रमांक 3052 Youth sports infrastructure and international competitions in Pune दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government is aware that the inaugural Pune Grand Tour, a UCI 2.2-category cycling race, was successfully held in January 2026, enhancing Pune's profile in international cycling;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the steps taken to support and expand youth sports infrastructure and training facilities in Pune and Maharashtra;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether additional funding or programmes are planned to nurture youth participation in competitive sports; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the details and expected benefits for youth athletes and community sports engagement?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 140326

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3035

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:-राज्य सभा प्रश्न ताराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 6954 Support mechanisms for retired athletes दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Sport-wise and year-wise number of athletes who represented India in recognised international events during last five years'	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Number and percentage currently covered under any Central Government pension, insurance or post-retirement welfare scheme, with scheme-wise beneficiary details;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether a centralised digital database exists for tracking the post-retirement employment and financial status of former athletes, if so, details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any nationwide assessment has been conducted in the last ten years on economic hardship or mental health concerns among retired sportspersons, including para-athletes; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether Government proposes to establish a statutory or contributory National Athlete Welfare Fund, if not, the reasons therefor?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह 140326

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3036

दिनांक: 17/10/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

**विषय:-राज्य सभा प्रश्न तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 6952 Equal pay for equal work
in sports sector दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।**

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has worked towards promoting the principle of equal pay for equal work for male and female athletes across various sports disciplines;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details of remuneration, match fees, prize money, annual contracts, tournament allowance and incentives paid to male, female and trans athletes (including para athletes) by each National Sports Federation during the last five years, sport-wise and year-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether any guidelines or advisories have been issued to National Sports Federations to promote gender equity in pay structures and incentives; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether financial assistance provided to National Sports Federations is linked to compliance with gender equity norms?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3037

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:-राज्य सभा प्रश्न ताराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 6835 Accessibility and inclusion of persons with disabilities and marginalised youth in sports infrastructure दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Ministry has undertaken any nationwide assessment or mapping of accessibility of public sports infrastructure for persons with disabilities and socio-economically marginalized youth;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the coverage, key findings and gaps identified and if not, the reasons therefor;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether there are plans to upgrade playgrounds, stadiums and training centers with universal design standards and adaptive equipment to enable inclusive participation; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The status of recruitment, training and deployment of specialized coaches for para-sports and adaptive physical activities at the district and block levels?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3038

दिनांक: 17/10/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:-राज्य सभा प्रश्न तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 6629 Implementation of national youth development दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether facilities created under large residential school projects, including those in Telangana, can be converged with the Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram (RYSK) and the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of components under RYSK that support youth leadership, sports, volunteerism and life-skills development;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether guidelines permit use of such institutional infrastructure for youth programmes and the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The details of assistance available to States and institutions for organising activities under this scheme?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 17/10/26

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3039

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:-राज्य सभा प्रश्न ताराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 2533 Viksit Bharat Young Leaders Dialogue (VBYLD) 2026 दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The objectives, key deliberations and tangible outcomes of the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue held in January 2026 and its alignment with the vision of Viksit Bharat @2047;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The measures adopted to ensure inclusive participation of women, youth from marginalised communities and aspirational districts;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The selection mechanism for youth leaders, including participation of international delegates and the role of the MY Bharat platform; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The the steps taken to institutionalise the Dialogue's recommendations into concrete youth-centric policies and programmes?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3040

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:-राज्य सभा प्रश्न ताराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 6244 दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of Nehru Yuva Kendras (NYK) currently operational in Tamil Nadu;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	What specific programs and initiatives are being implemented by the Nehru Yuva Kendras to promote youth empowerment and skill development;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	How does Government ensure that the Nehru Yuva Kendra's activities reach underserved and remote areas, particularly in Tamil Nadu and what steps are being taken to improve the participation of youth from rural and marginalized communities;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	What is the total budget allocated for the Nehru Yuva Kendras for the current financial year especially Tamil Nadu; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	How does Government monitor and evaluate the effectiveness of the NYK programs?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतन्द्र १५०३२६

(प्रो. यतन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3041

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:-राज्य सभा प्रश्न तारकित प्रश्न डायरी क्रमांक 2527 Implementation of the National Youth Policy and youth empowerment दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of youth who have benefited from skill development, employment and entrepreneurship programmes under the National Youth Policy-2014;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The level of youth participation in community service and social awareness through the Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) and the National Service Scheme;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The outcomes of efforts made for youth leadership development and to promote political participation; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The progress of programmes being operated for youth mental health, cyber safety and digital literacy in the digital era?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 17/03/26

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3042

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:-राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 3271 Welfare schemes for youth in Kerala दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of youth-centric welfare schemes and programmes implemented in Kerala during the last ten years;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The total funds allocated, released and utilised for these schemes, year-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The number of youth beneficiaries covered district-wise; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The major outcomes achieved under these initiatives?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 140326
(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 3043

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

**विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न डायरी क्रमांक 3811 Eco-tourism
development around hills दिनांक 12.03.2026 की जानकारी बाबत।**

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 28.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government is supporting eco-tourism projects in hill regions across the country particularly the Pune hill ranges, if so, the details of schemes, financial assistance and approvals granted during the last three years;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The safeguards prescribed to protect ecology, biodiversity and carrying capacity while promoting tourism activities in such sensitive areas; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The extent of involvement of local communities, including employment, skill development and benefit-sharing mechanisms, in these eco-tourism initiatives?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-U.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2775

दिनांक: 11.2.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 1586 Development of Sports Infrastructure in Odisha दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has received any proposals from the State Government of Odisha for the development or upgradation of sports infrastructure in the State;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details of such proposals along with the funds sanctioned and released during the last three years; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps taken by the Union Government to strengthen sports facilities in aspirational districts of Odisha?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2776

दिनांक: 11.2.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 1587 Sports of Sports in Kushinagar दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The measures taken to promote indigenous and rural sports in Kushinagar district;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of 'Sansad Khel Mahakumbh' or similar sports tournaments organized in the constituency;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The status of financial assistance provided to the rural sports associations;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The measures taken to create a fitness culture among youth through the Fit India Movement; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Government's plan to scout talent from the grassroots level tournaments?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेंद्र कुमार सिंह

(प्रो. यतेंद्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2777

दिनांक: 11.2.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 1588 Target Olympic Podium Scheme दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether it is a fact that Target Olympic Podium Scheme (TOPS) aims to provide assistance to India's top athletes so that they could win medals at the Olympics and includes preparation assistance for summer games for both able-bodied and paralympians;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether the programme also offers any assistance for winter games for both able-bodied and paralympians; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	if so, the types of assistance offered and if not, whether the Ministry would consider winter Olympics in TOPS?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह
(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/2778

दिनांक: 11.2.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारंकित प्रश्न क्रमांक 1589 Performance of athletes

दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of athletes inducted into Khelo India programmes during the last three years, discipline-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of athletes who exited the program during this period and the reasons for their exiting;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether performance benchmarks were revised for retention;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	How transitions from junior to senior levels are being tracked; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	The outcomes achieved in national and international competitions?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यत्नेन्द्र कुमार सिंह 11.2.26

(प्रो. यत्नेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2779

दिनांक: 11.2.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

**विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 1590 Development of
infrastructure for Centenary Commonwealth Games दिनांक 12.02.2026
की जानकारी बाबत।**

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of specific sports venues identified in Ahmedabad to host the 2030 Centenary Commonwealth Games (CWG);	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The current status of construction of "Sports Village" and other athlete accommodation facilities in the Ahmedabad-Gandhinagar corridor; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Government has a timeline for completion of all sports-related infrastructure to ensure testing and trial events before 2030?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 11.2.26
(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2780

दिनांक: 11.2.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

**विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 1591 Sports infrastructure in
Konkan region दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।**

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The current status of sports projects, synthetic tracks and multi-purpose halls sanctioned under 'Khelo India' in Raigad, Ratnagiri and Sindhudurg districts;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether there is any proposal to establish coastal/water sports excellence centers in these districts, considering the Konkan coastline;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of work done by NYKS during the last three years for skill development and leadership training of rural youth; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether there is any proposal to provide residential facilities for talented local sports persons?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यत्नेन्द्र कुमार सिंह

(प्रो. यत्नेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2781

दिनांक: 11.2.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारकित प्रश्न क्रमांक 1592 Funding of Federations दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of federations receiving Government funding after December 2024;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether any federations were flagged for governance or compliance lapses;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	If so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The actions taken on such federations after audits or court directions;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	How funding was linked with athlete welfare and performance metrics;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	Whether funding norms were revised based on performance outcomes; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(g)	If so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

2026/2/11
(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2782

दिनांक: 11.2.2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारंकित प्रश्न क्रमांक 1593 Development of sportspersons

दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The various schemes currently available for development of sportspersons and their objectives;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The year-wise allocations and actual releases under these schemes during the last five years, specifically for supporting athletes including preparation for Olympic Games, State-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The number of athletes supported under these schemes at the national and State levels, State-wise including the number of those progressing to Olympic qualifiers or winning medals; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The State-wise utilisation of funds and any gap analysis, particularly for States with limited athlete representation despite allocations?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह
(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2783

दिनांक: 11.2.2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 1594 Khelo India scheme in Tamil Nadu

दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The features of Khelo India scheme;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of funds sanctioned, allocated and utilized under this scheme in Tamil Nadu during the last three years and the current year;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of target set and achievements made, so far, along with its objectives and aim;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether Government is providing government jobs to Khelo India medal winner athletes and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether Government has launched KIRTI program under this scheme across the country;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(g)	The number of States being covered initially under this programme?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

20/02/2026
(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2784

दिनांक: 11.2.2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 1595 Welfare policies for differently abled youth दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of welfare policies, schemes and programmes implemented by the Ministry during the last five years to empower youth with disabilities or differently abled persons;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The funds allocated, released and utilised under each such scheme, year-wise and State/UT-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The number of beneficiaries covered under these initiatives;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The measures taken to ensure accessibility, skill development, employment opportunities and inclusion of differently abled youth in sports and youth development programmes; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether any evaluation or impact assessment of these schemes has been conducted and if so, the findings thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

27/02/2026
(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2785

दिनांक: 11.2.2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 1596 Development of sports facilities in rural and semi-urban areas दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The steps taken to develop and upgrade sports infrastructure across the country, particularly in rural and semi-urban areas and the funds allocated and utilized for this purpose;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The measures undertaken to identify and nurture young sporting talent at the grassroots level, including support for schools and academies and the outcomes achieved, so far; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of schemes for financial assistance, coaching, medical support and post retirement security for sportspersons and how these schemes have benefited athletes during the last three years?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह 11.2.26

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/2786

दिनांक: 11.2.2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 1597 Implementation of Khelo Bharat Niti in Madhya Pradesh दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The steps taken to implement the Khelo Bharat Niti 2025 in Madhya Pradesh, especially in the context of development of sports infrastructure in rural areas;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The measures taken for identification, training, and promotion of sports talent through Khelo India centers in Bhopal and Indore divisions; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Government proposes to organize Khelo India Youth Games in Madhya Pradesh in the year 2026-27 and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

2026/11/226
(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/2787

दिनांक: 11.2.2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 1598 Sports infrastructure in

Belagavi दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The status of sports infrastructure available in Belagavi district;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of proposals received from the State Government for construction of a multipurpose indoor stadium or sports complex in the city under the Khelo India scheme;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The measures taken to upgrade the existing stadiums and playgrounds in the district;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The status of development of wrestling akharas and swimming pools; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Government's plan to set up a sports science center in the region?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यु3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2788

दिनांक: 11.2.2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अताराकित प्रश्न क्रमांक 1599 Sports infrastructure in J&K

दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The district-wise status of sports infrastructure, coaching staff and funding in J&K;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of playgrounds, indoor halls and hostels sanctioned, completed or pending since 2021;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps taken to ensure transparent selections for scholarships, Khelo India scheme and National Camps;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The measures taken to revive defunct facilities in rural and border areas and timelines with budgetary allocations to bridge regional disparities, especially in Chenab region; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The details of employment provided since 2021 in the UT to sportsmen, coaches and allied staff, including contractual, district-wise and the pending cases?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/312/2023/ 2789

दिनांक: 11.2.2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा प्रश्न अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1600 Enhancing anti-doping measures दिनांक 12.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 06.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether India intends to take any follow-up measures to enhance anti-doping enforcement based on the insights from the workshop;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The nature of participation from other Asian countries and global agencies like INTERPOL and WADA; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps being taken to strengthen investigative and intelligence-gathering mechanisms to ensure clean sports in India?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह
(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी